न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2018	FSS ACT	04.07.2018	14.2.2024

1. राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री विशम्भर दयाल मंगल जाति मंगल उम्र 30 वर्ष (विक्रेता एवं मालिक) निवासी नया बाजार, गंगापुर सिटी
2. मैसर्स कृष्णा स्वीट्स एण्ड आईसक्रीम कार्नर, नया बाजार, गंगापुर सिटी

—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 14.2.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 10.06.2014 को लगभग 04:15 पीएम पर मैसर्स कृष्णा स्वीट्स एण्ड आईसक्रीम कार्नर, नया बाजार, गंगापुर सिटी पहुँचा वहा पर मनीष कुमार पुत्र श्री विशम्भर दयाल मंगल उम्र 30 वर्ष जाति मंगल निवासी नया बाजार, गंगापुर सिटी उपस्थित था, को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति मौके पर प्रस्तुत की। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मिल्क शेक (दूध, चीनी, मावा, इलाईची, काजु से निर्मित) के मिसब्रान्ड व मिलावटी होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0–5अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मिल्क शेक (दूध, चीनी, मावा, इलाईची, काजु से निर्मित) 10 लीटर में से कुल मात्रा 02 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 200 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये मिल्क शेक (दूध, चीनी, मावा, इलाईची, काजु से निर्मित) चार साफ सुखी व खाली कांच की शीशीयों में 500 मी.ली. डाला, और प्रत्येक शीशीयों में प्रिजरवेटि फार्मिलिन की 40–40 बूंदें प्रत्येक में डालकर चारो शीशीयो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

को ढक्कन लगाकर एअर टाइट कर प्रत्येक शीशी को अच्छी बन्द किया तथा 04 लेवल तैयार कर प्रत्येक शीशी पर एक–एक लेवल चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी0ओ0 सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–498 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में चिपकाकर प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर विक्रेता मनीष कुमार ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है।

दो सील बंद नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2014 / 2364 दिनांक 11.12.14 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 एफएसएसए / कोटा / एक्ट / 2014 / 493 दिनांक 28.11.14 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क शेक (दूध, चीनी, मावा, इलाईची, काजु से निर्मित) मिसब्राण्ड (**Mis-Branded**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए / 2014 / 2364 दिनांक 11.12.14 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 15 / 1612 दिनांक 25.05.2015 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एफएसएसएल / कोटा / 2014 / 493 दिनांक 28.11.2014 के अनुसार विक्रेता व फर्म मालिक द्वारा मिसब्रान्ड खाद्य वस्तु पदार्थ मिल्क शेक (दूध, चीनी, मावा, इलाईची, काजु से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 3 (1)(ZF))(C)(i) का उल्लधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस के दौरान वकील अभियुक्तगण ने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण ने जबावदार के विरूद्ध उक्त प्रकरण आवेदक की नाजायज मांग की पूर्ति न करने के कारण गलत तरीके से बनाया है। आवेदक ने प्रार्थी जवाबदार को पुलिस का भय दिखाकर कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये और उन कागजों का दुरूपयोग करते हुये तथा खाली कागजो पर लिये गये हस्ताक्षरों वाले पेपरों पर कम्प्यूटर से फार्म सैट कर मिथ्या फार्म तैयार कर गलत कार्यवाही प्रार्थी जवाबदार के विरूद्ध की गई है जबकि आवेदक ने प्रार्थी जवाबदार के ना तो किसी फार्म पर हस्ताक्षर कराये ना ही किसी फर्द पर हस्ताक्षर कराये, ना ही कोई फर्द या दस्तावेज पढकर सुनाया। गलत तरीके से

मजिस्ट्रेट
सिटी

खाली हस्ताक्षरयुक्त पेपरों का दुरूपयोग करते हुये उक्त प्रकरण बनाया गया है जिस प्रकरण की कार्यवाही इसी आधार पर ड्रोप किये जाने योग्य है। खादय वस्तु मिल्क शेक के सेम्पलिंग की कार्यवाही की गई है वह कोई अपमिश्रित पदार्थ नहीं है। मिल्क सेक जैसा खादय पदार्थ तुरन्त तैयार कर तुरन्त ग्राहक को दिया जाता है जिसका कोई ब्राण्ड नहीं होता है। इस कारण उक्त प्रकरण में जिस पदार्थ मिल्क शेक को मिसब्राण्ड बताया गया है, गलत तरीके से केस बनाया गया है। इस कारण भी उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण की कार्यवाही में आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रहा है, ना ही उक्त प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने खादय सुरक्षा अधिनियम में वर्णित नियमों का पालन किया हो। इस कारण भी उक्त कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है तथा उक्त कार्य कर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करते है प्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक FSSL/KOTA/2014/493 दिनांक 28.11.2014 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"Opinion- The sample of **"MILK SHAKE** Code No. **H-498 HAS BEEN SOLD WITH MISLEADING DECLEARATION AS IT IS NOT MADE WITH PURE MILK AND SHOWS STARCH TEST POSITIVE. IT IS DECLAERD Misbranded 3(1)(ZF))(C)(i) AS PER FSS ACT 2006 RULE REGULATIONS 2011"**

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक मिल्क शेक (दूध, चीनी, मावा, इलाईची, काजु से निर्मित) का सेम्पल SERIAL NO. H-498[MIS-BRANDED] पाया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा मिसब्रान्डेड **(Mis-Branded)** प्रकृति की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्तगण द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्तगण को 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी मे पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
यह निर्णय आज, दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी